31.5.18

पत्रावली लोक अदालत केम्प बूढ़ादीत में पेश हुई। वादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण ने वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट में प्रस्तुत कर ग्राम सांगाहेडी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 103/338 व दीवानिया तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 17 रकबा 0.68 हे0 भूमि का खातेदार घोषित कर बद्री पुत्र कजोड का नाम सूतें से डिलीट किये जानें का निवेदन किया। मजमें आम में उभयपक्ष को सुना गया। वादीगण का कथन है कि वादीगण के पिता चतरा व वादीगण के चाचा बद्री पुत्र कजोड की संयुक्त खातेदारी आराजी ग्राम सांगाहेडी में ख0नं0 103/338 रकबा 0.88 हे0 एवं ग्राम दीवानिया में वादीगण के पिता व चाचा के नाम ख0नं0 17 रकबा 0.68 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है। वादीगणं के पिता का देहान्त हो चुका है तथा वादीगण चतरा पुत्र कजोड के एकमात्र वारिसान है। जिनके नाम ग्राम सांगाहेडी स्थित आराजी मृतक चतरा के स्थान वादीगण का नाम दर्ज कर दिया गया। ग्राम दीवानिया स्थित आराजी भी चतरा व बद्री के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज। उक्त आराजी में चतरा के स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बार–बार निवेदन करनें के उपरान्त भी दर्ज नहीं किया गया। वादीगण के चाचा बद्री पुत्र कजोड का भी देहान्त हो चुका है व उनकी पत्नी नेना बाई की भी मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार वादीगण के चाचा व चाची का लाऔलाद स्वर्गवास हो जानें से वादीगण अपनें पिता चतरा आत्मज कजोड व

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	चाचा बद्री आत्मज कजोड की ग्राम सांगाहेडी व दीवानिया स्थित आराजी पर एकमात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी होनें से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। पत्रावली का मजमें आम में अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत साक्ष्य पर विधिक विचारण किया। वादीगण चतरा की संतानें है तथा ग्राम सांगाहेडी स्थित आराजी में चतरा के हिस्से पर वादीगण का नाम दर्ज किया जा चुका है, किन्तु ग्राम दीवानियां स्थित आराजी वर्तमान में भी चतरा एवं ब्रदीलाल की खातेदारी में ही दर्ज चली आ रही है। चतरा एवं बद्रीलाल दोनों की मृत्यु हो चुकी है तथा वादीगण चतरा के वारिस है। वादीगण के चाचा बद्रीलाल एवं चाची नेना के लाऔलाद फोत होनें के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत मदनुपरा द्वारा दिनांक 20.05.2018 को वारिस प्रमाण पत्र जारी किया है। वादी नं0 2 व 3 ने मजमें आम में उपस्थित होकर कथन किये कि वादी नं0 1 चतरा का पुत्र है तथा हमारा भाई है। चूंकि बद्रीलाल लाऔलाद फोत हुआ है तथा वादीगण उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान है, जिससे बद्रीलाल के खाते की आराजी को वादीगण धारण करनें के अधिकारी है। इसी प्रकार ग्राम दीवानियां की आराजी में चतरा का फोती इंतकाल आदिनांक दर्ज नहीं किया गया है, इस कारण वादीगण ग्राम दीवानियां स्थित आराजी के खातेदार घोषित होनें के अधिकारी है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण स्वीकार योग्य है। परिणामतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम सांगाहेडी स्थित ख0नं0 103/338 रकबा 0.88 हे0 भूमि एवं ग्राम दीवानिया स्थित ख0नं0 17 रकबा 0.68 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से बद्रीलाल का नाम डिलीट किया जावें तथा वादीगण को बद्रीलाल के हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा ग्राम दीवानियां स्थित आराजी में चतरा का फोती इंतकाल मुताबिक जमाबंदी ग्राम सांगाहेडी अनुसार दर्ज किया जावें। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (उ0 अ0 ...)	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प बूढादीत

उनवान

1. कन्हैयालाल पुत्र चतरा
2. मांगीबाई पुत्र चतरा
3. अनोख बाई पुत्री चतरा जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम सांगाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 43/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम सांगाहेडी स्थित ख0नं0 103/338 रकबा 0.88 हे0 भूमि एवं ग्राम दीवानिया स्थित ख0नं0 17 रकबा 0.68 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से बद्रीलाल का नाम डिलीट किया जावें तथा वादीगण को बद्रीलाल के हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा ग्राम दीवानियां स्थित आराजी में चतरा का फोती इंतकाल मुताबिक जमाबंदी ग्राम सांगाहेडी अनुसार दर्ज किया जावें।" तद्नुसार अन्तिम डिक्री लोक अदालत केम्प बूढादीत में जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 31.05.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner